न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोद कुमार सिंघल आर.ए.एस.)

मिसल नं0 936/दावा/2016
(पूर्व मि0नं0 468/08)
दायरा 15/07/2010

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
2. भंवरी पुत्री मिरधा जाति माली निवासी रामपुरिया तह0 अटरू जिला बारां

बनाम् — वादी

1. छोट्या पुत्र रोड़ा जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
2. रत्तीराम पुत्र रोड़ा जाति माली निवासी हरीगढ़ हाल मुकाम नई कॉलोनी तालाब के पास मांगरोल रोड़, बारां मृतक का0मु0
   2/1 रतनीबाई बेवा रत्तीराम
   2/2 रामचन्दर पुत्र रत्तीराम
   2/3 देवलाल पुत्र रत्तीराम
   2/4 बजनिया पुत्र रत्तीराम
   जाति माली निवासी हरीगढ़ हाल मुकाम नई कॉलोनी तालाब के पास मांगरोल रोड़, बारां
3. गणेश पुत्र रोड़ा जाति माली निवासी हरीगढ़ हाल मुकाम नई कॉलोनी तालाब के पास मांगरोल रोड़, बारां मृतक का0मु0
   3/1 घींसीबाई बेवा गणेश जाति माली हा0मु0 सारोलाखुर्द तह0 खानपुर
   3/2 रेवडीबाई नाबा0 पुत्री गणेशराम जरिये संरक्षिका माता घींसीबाई बेवा गणेश जाति माली निवासी हरीगढ़ हा0मु0 सारोलाखुर्द तह0 खानपुर
4. सुन्दरलाल पुत्र धूलीलाल जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर मृतक का0मु0
   4/1 राधेश्याम पुत्र सुन्दरलाल जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
   4/2 रामप्यारी पुत्री सुन्दरलाल जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
   4/3 सत्यनारायण पुत्र सुन्दरलाल जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
   4/4 चमेलीबाई पुत्री सुन्दरलाल जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
   4/5 ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
   4/6 सन्तोष पुत्री सुन्दरलाल पत्नि परमानंद जाति माली निवासी निपानिया तह0 खानपुर
   4/7 रमेश पुत्र सुन्दरलाल जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
   4/8 किशनाबाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नि रामकुंवार जाति माली निवासी चौकी बोरदा जिला बारां
5. रत्तीराम पुत्र कंवरया जाति नाई निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर मृतक का0मु0
   5/1 श्याम पुत्री रत्तीराम जाति नाई निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
   5/2 महावीर पुत्र रत्तीराम जाति नाई निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
   5/3 जसोदाबाई रत्तीराम पत्नि वंशीलाल जाति नाई हाल मु0 राजगढ़ मध्य प्रदेश
   5/4 कौशल्याबाई पुत्री रत्तीराम पत्नि बालचंद जाति नाई हा0मु0 झालावाड़
   5/5 कमलीबाई पुत्री रत्तीराम पत्नि पुरूषोत्तम जाति नाई हा0मु0 केथून जिला कोटा
   5/6 बदामीबाई पुत्री रत्तीराम पत्नि मीट्ठूलाल जाति नाई निवासी रेलगांव जिला कोटा
6. मथुरालाल पुत्र कंवरया जाति नाई निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर मृतक का0मु0
   6/1 कान्हा पुत्र मथुरालाल जाति नाई निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
   6/2 रामनिवास पुत्र मथुरालाल जाति नाई निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
7. हीरालाल पुत्र जमनालाल जाति माली निवासी हरीगढ़ तह0 खानपुर
8. कैलाशबाई पुत्री जमनालाल पत्नि बृजमोहन जाति माली निवासी बणी तह0 खानपुर

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर
10. केदार पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी खेडा तह0 खानपुर
11. लदूर पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी खेडा तह0 खानपुर
12. गोपाल पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी खेडा तह0 खानपुर मृतक का0मु0
    12/1 राधेश्याम पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी खेडा तह0 खानपुर
    12/2 मूलचंद पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी खेडा तह0 खानपुर
    12/3 धनराज पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी खेडा तह0 खानपुर
    12/4 ओमप्रकाश पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी खेडा तह0 खानपुर
    12/5 राममूर्तिबाई पुत्री गोपाल पत्नि भवानीशंकर जाति धाकड निवासी खेडा हा0मु0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री संजय गौतम अधिवक्ता – वादी
2. श्री इन्दरलाल गुप्ता अधिवक्ता – प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 91, 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक 23/10/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद दिनांक 18.06.1990 को आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 53, 91, 188 अन्तर्गत के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम बाघेर की ख0नं0 201 की 54.15 बीघा, ख0नं0 206 की 40.02 बीघा, ख0नं0 207 की 9.11 बीघा आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 का नाम सह खातेदार से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगा0 8 को खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण के हिस्से की आराजी पृथक खाते दर्ज की जावे एवं प्रति0 1 लगा0 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि यह वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुँचावें।

न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 09.09.2003 से वादी ने दिनांक 07.10.2003 को संशोधित वाद पेश किया कि ग्राम बाघेर की ख0नं0 201 की 54.15 बीघा, ख0नं0 206 की 40.02 बीघा, ख0नं0 207 की 9.11 बीघा, ख0नं0 202 की 13.10 बीघा कुल 4 किता की 117.17 बीघा आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 का नाम सह खातेदार से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगा0 8 को शामलात खातेदार घोषित किया जावे। उक्त आराजी में से प्रति0 1 लगा0 3 का नाम हटाने के बाद वादीगण 1 व 2 के शामलाती हिस्से की आराजी पृथक खाते दर्ज फरमायी जावे तथा आराजी पर कब्जा दिलवाया जावे। प्रति0 1 लगा0 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि यह वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुँचावें। वाद सुनवाई, प्राप्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर न्यायालय हाजा के निर्णय दि0 15.09.2004 से वादीगण का वाद खारिज किया गया। वादीगण ने उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर इस निर्णय की अपील माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की। माननीय अपील न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.05.2208 में वादी/अपीलार्थी की अपील सारहीन मानते हुये खारिज की है। वादी द्वारा उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की, जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 02.07.2008 को स्वीकार कर निर्णय पारित किया कि " *परिणामतः प्रस्तुत अपील को हम विचारार्थ ग्राह्यता के बिन्दू पर ही स्वीकार करते हैं। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 08.05.2008 और विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के निर्णय दिनांक 15.09.2004 को अपास्त करते हैं। अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर को हम यह आदेश देते हैं कि वाद पत्र को पुनः दर्ज कर प्रतिवादी सं0 11, 12 व 13 के रूप में केदार, गोपाल व लदूर पुत्र हीरालाल धाकड़ को पक्षकार बनाकर प्रतिवादीगण को तलब करें और दोनों ही पक्षों को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर वाद पत्र का गुणागुण पर निस्तारण करें।*"

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त होने पर पुन दर्ज रजिस्टर की गयी। दिनांक 31.03.2010 को अधिवक्ता वादी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दि0 02.07.2008 की पालना में संशोधित वाद इस प्रकार पेश किया कि ग्राम बाघेर में ख0नं0 201 की 54.15 बीघा, ख0नं0 206 की 40.02 बीघा, ख0नं0 207 की 9.11 बीघा कुल 3 किता की 104.08 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रति0 1 लगा0 8 के शामलाती खाते में दर्ज है। सेटलमेंट जमाबंदी 2028–47 में यह ख0नं0 201 की 54.15 बीघा, ख0नं0 206 की 40.02 बीघा, ख0नं0 207 की 9.11 बीघा, ख0नं0 202 की 13.10 बीघा कुल 4 किता की 117.17 बीघा थी। सेटलमेंट से पूर्व इनका ख0नं0 7 रकबा 115.16 बीघा था जो फरीकेन के शामलाती खाते में था। इस आराजी में से प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 क्रमशः छोटया, रतीराम, गणेश एवं चंदरीबाई ने अपने हिस्से की 14.04 बीघा आराजी दिनांक 12.05.71 को केदार, गोपाल, लदूर पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी हरीगढ को बेच दी। इस पर वादीगण ने प्रति0 1, 2, 3 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में धारा 91 के तहत वाद पेश किया जिसमें निर्णय दि0 15.01.76 में उक्त बैचान दि0 12.05.71 को बेअसर घोषित कर दिया। प्रति0 1 लगा0 3 ने केदार, गोपाल, लदूर पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी हरीगढ को जो आराजी 14.04 बीघा बेची उसकी जगह ख0नं0 202 की 13.10 बीघा खाते लगा दी है, जो अवैधानिक है, क्योंकि उक्त बैचान न्याया0 एस0डी0ओ0 अकलेरा द्वारा दि0 15.01.76 को शामलाती खातेदारान के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर घोषित किया जा चुका है। इसलिये ख0नं0 202 की 13.10 बीघा आराजी वापस वादीगण एवं प्रति0 4 लगा0 8 के शामलाती खाते में दर्ज होने योग्य है। तदुपरान्त वादीगण अपने हिस्सा का विभाजन कराने के अधिकारी हैं। प्रति0नं0 1, 2, 3 वाद की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में से अपना हिस्सा बैचान कर चुके हैं और अब रकबा 104.08 बीघा रह गया है जिसमें प्रति0 1, 2, 3 का कोई अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि प्रतिवादीगण अपने हिस्से से भी अधिकार आराजी का बैचान कर चुके हैं। ऐसे में वादीगण इनका नाम मद नं0 1 में वर्णित आराजी 104.08 बीघा में से हटवाने के अधिकारी हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अब वाद की मद नं0 2 में वर्णित आराजी पर प्रति0 1, 2, 3 का कोई अधिकार नहीं रहा है। ऐसे में सम्पूर्ण आराजी 117.17 बीघा आराजी पर वादीगण 1, 2 एवं प्रति0 4 लगा0 8 ही अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी हैं, क्योंकि प्रति0 1, 2, 3 अपने हिस्से से अधिक आराजी बेच चुके हैं। वादीगण आपसी समझौते के आधार पर ख0नं0 206 की 40.02 बीघा आराजी पर सम्मिलित काश्त करते आ रहे हैं एवं कानूनन इतनी आराजी वादीगण के हिस्से में आती भी है, परन्तु आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में रहने से लड़ाई–झगड़ा होता रहता है। इसलिये वादीगण अपने हिस्से की आराजी पृथक खाते लगवाना चाहते हैं। दि0 13.06.90 को प्रति0 1, 2,3 ने अपना नाम खाते में होने का नाजायज फायदा उठाते हुये वादीगण के कब्जे काश्त की ख0नं0 206 की 40.02 बीघा आराजी के पश्चिम ओर की करीब 13.00 बीघा आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी और जबरदस्ती काश्त करने की कोशिश करी। इस कारण वाद हेतु दि0 16.03.90 को उत्पन्न हुआ है। इस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण 1, 2, 3 लड़ाई झगडा करने पर उतारू हो गये और यदि प्रतिवादीगण 1, 2, 3 ने वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादीगण को अपार क्षति होगी। इसलिये वादीगण, प्रति0 1, 2, 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बाघेर की ख0नं0 201 की 54.15 बीघा, ख0नं0 206 की 40.02 बीघा, ख0नं0 207 की 9.11 बीघा, ख0नं0 202 की 13.10 बीघा कुल 4 किता की 117.17 बीघा आराजी प्रति0नं0 1, 2, 3 का नाम सह खातेदार से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण एवं प्रति0 4 लगा0 8 को शामलाती खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण के शामलाती हिस्से की आराजी पृथक खाते दर्ज की जाकर कब्जा आराजी दिलाया जावे। साथ ही प्रति0 1, 2, 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुँचायें।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद शामिल पत्रावली किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 2/1 की ओर से श्री गिरधारीलाल नागर एड0, प्रति0नं0 4/1 लगा0 4/8, 12/1 लगा0 12/14 की ओर से श्री नरेन्द्रकुमार नागर एड0, प्रति0नं0 5/1, 5/2, 6/2 की ओर से श्री इन्दरलाल गुप्ता एड0 ने वकालतनामा पेश किया। शेष के

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रति0नं0 5/1, 5/2, 6/2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया, जिस पर वादीगण द्वारा अनापत्ति प्रकट की गयी। पर्याप्त अवसर के बाद भी प्रति0नं0 2/1, 4/1 लगा0 4/8, 12/1 लगा0 12/14 द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने पर दिनांक 30.11.16 को इनका जवाबदावा बंद किया गया तथा वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाबदावा के अनुसार निम्नप्रकार तनकीयात कायम की गयी।

1. आया ग्राम बांदेर के म्हाल की ख0नं0 201 की 201 की 54.15 बीघा, 206 की 40.02 बीघा, 207 की 9.11 बीघा कुल 3 किता की 104.08 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 8 के शामलाती खाते की है ? —वादी
2. आया नकल पट्टा भू प्रबन्ध 2028—47 में ख0नं0 201 की 201 की 54.15 बीघा, 202 की 13.10 बीघा, 206 की 40.02 बीघा, 207 की 9.11 बीघा कुल 4 किता की 117.17 बीघा थी ? —वादी
3. आया सेटलमेंट से पूर्व पुराने ख0नं0 7 रकबा 115.16 बीघा था जो पक्षकारान के शामलाती खाते में था। इसमें से प्रतिवादीगण 1, 2, 3 छोटूया, रतीराम, गणेश एवं चंदरीबाई ने अपने हिस्से की 14.04 बीघा आराजी दि0 12.5.71 को केदार, गोपाल, लटूर पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी हरनावद को बेच दी। वादीगण ने प्रति0 1, 2, 3 के विरूद्ध धारा 91 के तहत माननीय न्यायालय एस0डी0ओ0 अकलेरा में वाद पेश किया, जिसमें निर्णय दि0 15.01.71 में उक्त बेचान को शामलाती खातेदारान के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर घोषित किया जा चुका है, इसलिये ख0नं0 202 की 13.10 बीघा आराजी वापस वादीगण एवं प्रति0 5 लगा0 8 के शामलाती खाते में दर्ज होने योग्य है ? —वादी
4. आया प्रति0 1 लगा0 3 वाद की मद नं0 2 में वर्णित आराजी 117.17 बीघा में से अपने हिस्से का बेचान कर चुके है और अब रकबा 104.08 बीघा रह गया है, इसमें प्रति0 1, 2, 3, 4 का कोई अधिकार नहीं रह गया है, ऐसे में वादीगण इस शेष आराजी 104.08 बीघा में से प्रति0 1, 2, 3, 4 का नाम हटवाने एवं सम्पूर्ण आराजी 117.17 बीघा पर वादीगण 1, 2 एवं प्रति0 5 लगा0 8 खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी है ? —वादी
5. यह है कि वादीगण आपसी समझौते के आधार पर ख0नं0 206 की 40.02 बीघा आराजी पर सम्मिलित काश्त करते आ रहे हैं एवं कानूनन इतनी ही आराजी वादीगण के हिस्से में आती है ? इसलिये वादीगण अपने हिस्से की आराजी पृथक करवाने के अधिकारी है ? — वादी
6. आया 117.17 बीघा में से अपने हिस्से की ख0नं0 207 की 9.11 बीघा, 201 की 54.15 बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण का पूर्वजों के जमाने से आपसी सहमति के आधार कब्जा चला आ रहा है ? ख0नं0 201, 202, 206, 208 में से प्रतिवादीगण अपने हिस्से का विभाजन करवाकर कब्जा आराजी प्राप्त करने के अधिकारी है ? — प्रति0 5/1, 5/2, 6/2
7. आया प्रतिवादी श्याममनोहर, महावीर, रामनिवास अपने हिस्से को पृथक कराने के अधिकारी है ? मृतक जमनालाल के वारिस प्रति0नं0 7, 8 ही है ? — प्रति0 5/1, 5/2, 6/2

पक्षकारान को अपनी तनकीयात के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। दिनांक 02.08.2017 को अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर प्रकट किया कि वह अपने वाद के समर्थन में कोई नई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, हमने पूर्व में जो साक्ष्य पेश कर रखी है, उसे ही मान्य रखी जावे। इस पर अधिवक्ता वादी की साक्ष्य बंद की जाकर प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। दि0 13.09.17 को प्रति0नं0 4/1 लगा0 4/8, प्रति0नं0 12/1 लगा0 12/4, प्रति0 2/1 एवं उनके अधिवक्तागण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। वही अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 5/1, 5/2, 6/2 ने कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

जब वादी ने हमारा काउण्टर क्लेम स्वीकार कर लिया है तो हमें अब कोई साक्ष्य पेश नहीं करनी है, ऐसे में इनकी साक्ष्य भी बंद की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम बाघेर में 3 किता की 104.08 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रति0 1 लगा0 8 के शामलाती खाते की है। सेटलमेंट जमाबंदी में यह कुल 4 किता की 117.17 बीघा थी। साबिक रेकार्ड में यह ख0नं0 7 रकबा 115.16 बीघा थी व पक्षकारान के शामलाती में थी। इसमें से प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 ने अपने हिस्से की 14.04 बीघा आराजी दिनांक 12.05.71 को केदार, गोपाल, लदूर धाकड़ को बेच दी। वादीगण ने प्रति0 1, 2, 3 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में धारा 91 के तहत वाद पेश किया जिसमें निर्णय दि0 15.01.76 में इस बैनान 12.05.71 को बेअसर घोषित कर दिया। प्रति0 1 लगा0 3 ने केदार, गोपाल, लदूर को जो 14.04 बीघा बेची उसकी जगह ख0नं0 202 की 13.10 बीघा खाते लगा दी है, जो अवैधानिक है, क्योंकि उक्त बैनान न्याया0 एस0डी0ओ0 अकलेरा द्वारा दि0 15.01.76 को शामलाती खातेदारान के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर घोषित किया जा चुका है। इसलिये ख0नं0 202 की 13.10 बीघा वापस वादीगण एवं प्रति0 4 लगा0 8 के शामलाती खाते में दर्ज होने योग्य है। प्रति0नं0 1, 2, 3, 4 वाद की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में से अपना हिस्सा बैनान कर चुके हैं और अब रकबा 104.08 बीघा रह गया है जिसमें इनका कोई अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि यह अपने हिस्से से भी अधिक जमीन बेच चुके हैं। ऐसे में वादीगण, इनका नाम मद नं0 1 में वर्णित 104.08 बीघा में से हटवाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार अब वाद की मद नं0 2 में वर्णित जमीन पर प्रति0 1, 2, 3 का कोई अधिकार नहीं रहा है। ऐसे में सम्पूर्ण आराजी 117.17 बीघा आराजी पर वादीगण 1, 2 एवं प्रति0 5 लगा0 8 ही अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण आपसी समझौते के आधार पर ख0नं0 206 की 40.02 बीघा पर सम्मिलित काश्त करते आ रहे है एवं कानूनन इतनी ही जमीन हमारे हिस्से में आती भी है, परन्तु आराजी शामलाती में रहने से लड़ाई–झगड़ा होता रहता है। इसलिये वादीगण अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं तथा बयान गवाहान कराये हैं जिनसे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा डिक्री करें तथा वादग्रस्त 4 किता की 117.17 बीघा आराजी से प्रति0नं0 1, 2, 3, 4 का नाम खाते से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण एवं प्रति0 5 लगा0 8 को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण के शामलाती हिस्से की आराजी पृथक खाते दर्ज की जाकर कब्जा आराजी दिलाया जावे। साथ ही प्रति0 1, 2, 3, 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुँचायें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमने काउण्टर क्लेम पेश किया है, जिसे वादीगण ने स्वीकार कर लिया है। 117.17 बीघा में से अपने 1/2 हिस्सा के रूप में हम ख0नं0 207 की 9.11 बीघा, 201 की 54.15 बीघा आराजी अपने पूर्वजों के जमाने से काश्त करते आ रहे हैं। अतः कब्जे के अनुसार प्रति0 श्याममनोहर, महावीर, रामनिवास हि0 1/4 का विभाजन किया जाकर कब्जा दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है :–

1. आया ग्राम बाघेर के माल की ख0नं0 201 की 54.15 बीघा, 206 की 40.02 बीघा, 207 की 9.11 बीघा कुल 3 किता की 104.08 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 8 के शामलाती खाते की है ? —वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Exp1 ग्राम बाघेर की जमाबंदी सं0 2046–49 की खाता सं0 140 पर ख0नं0 201 की 54.15 बीघा, 206 की 40.02 बीघा, 207 की 9.11 बीघा कुल 3 किता की 104.08 बीघा आराजी भंवरीबाई पुत्री बिरधा, जमना, जगन्नाथ पिता भैरिया, रतीराम गणेश छोटू वल्द रांडा व चन्दीबाई बेवा रोडा, सुन्दरलाल वल्द धूल्या हि0 1/2 कौम माली सा0 हरीगढ़, रतीराम मथुरालाल पिता कंवरया हि0 1/2 कौम नाई सा0 हरीगढ़ के

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

खाते दर्ज है, जो बाद में वादी 1 लगा0 2 एवं प्रतिवादी नं0 1 लगा0 8 के रूप में दर्ज है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी Exp1 से इस तनकी को वादी ने बखूबी साबित कराया है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादी निर्णित किया जाता है।

2. आया नकल पट्टा भू प्रबन्ध 2028–47 में ख0नं0 201 की 54.15 बीघा, 202 की 13.10 बीघा, 206 की 40.02 बीघा, 207 की 9.11 बीघा कुल 4 किता की 117.17 बीघा थी ?
—वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल पर्चा लगान भू प्रबन्ध विभाग ग्राम बाघेर सं0 2028–47 खाता नम्बर 158 पर ख0नं0 201 की 54.15 बीघा, 202 की 13.10 बीघा, 206 की 40.02 बीघा, 207 की 9.11 बीघा कुल 4 किता की 117.17 बीघा गोपाल वल्द जमना, जगन्नाथ पिता भेरिया, रोडा धूलिया पिता औंकार 1/2 माली सा0 हरीगढ़, कंवरिया वल्द मोती नाई 1/2 सा0 हरीगढ़ के खाते दर्ज है। वादी ने इस तनकी को राजस्व रेकार्ड से बखूबी साबित कराया है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादी निर्णित किया जाता है।

3. आया सेटलमेंट से पूर्व पुराने ख0नं0 7 रकबा 115.16 बीघा था जो पट्टाकारान के शामलाती खाते में था। इसमें से प्रतिवादीगण 1, 2, 3 छोट्या, रत्तीराम, गणेश एवं चंदरीबाई ने अपने हिस्से की 14.04 बीघा आराजी दि0 12.5.71 को केदार, गोपाल, लदूर पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी हरीगढ़ को बेच दी। वादीगण ने प्रति0 1, 2, 3, 4 के विरूद्ध धारा 91 के तहत माननीय न्यायालय एस0डी0ओ0 अकलेरा में वाद पेश किया, जिसमें निर्णय दि0 15.01.71 में उक्त बेचान को शामलाती खातेदारान के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर घोषित किया जा चुका है, इसलिये ख0नं0 202 की 13.10 बीघा आराजी वापस वादीगण एवं प्रति0 5 लगा0 8 के शामलाती खाते में दर्ज होने योग्य है ?
—वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Exp5 नकल जमाबंदी ग्राम बाघेर सं0 2000–2003 नं0 सफा हाल 232/नं0 खाता हाल 142 पर ख0नं0 6 रकबा 115.16 बीघा आराजी बिरधा जमना जगन्नाथ मुन्दजी हि0 1/2 में बांट बराबर व कंवरिया मुन्दजी हि0 1/2 के खाते दर्ज है। इसी प्रकार Exp6 नकल जमाबंदी ग्राम बाघेर सं0 2000–2003 नं0 सफा हाल 225/नं0 खाता हाल 135 पर ख0नं0 656/8 रकबा 0.10 बीघा आराजी बिरधा बालिग, जमना –जगन्नाथ नाबा0 बखिलायत बिरधा बेटे भेरिया जाति माली के खाते दर्ज है। Exp4 नकल बैनामा 12.05.1971 है जिसमें रत्तीराम छोटेलाल गणेश पिसरान रोडू चन्दरी बेवा रोडू जाति माली निवासी हरीगढ़ ने अपने खाते व हिस्से की आराजी ख0नं0 7 की 115.16 बीघा में से 14.09 बीघा आराजी का बैचान 5400 रु0 में केदारलाल, गोपाल, लदूर पिसरान हीरालाल जाति धाकड निवासी खेड़ा–हरीगढ़ को बांट बराबर से किया है। Exp3 वाद बउनवान जगन्नाथ बनाम रत्तीराम न्यायालय परगना अधिकारी अकलेरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.1976 है, जिसमें " ग्राम बाघेर तह0 खानपुर के माल की पुराने खाते के अनुसार नं0 7 की 115.16 बीघा भूमि में से 14.09 बीघा का बैचान प्रतिवादी नं0 1 लगा0 4 द्वारा प्रतिवादीगण 10, 11, 12 के पक्ष में दिनांक 12.05.71 वादी व दीगर शामलात खातेदारान के खातेदारी अधिकार के विरूद्ध है। अतः बेअसर घोषित किया जाता है। प्रति0नं0 10, 11, 12 का कब्जा हटाया जाकर शामलात खातेदारान को सम्भलाया जाये। " इस प्रकार जब माननीय न्यायालय ने बैचान को बेअसर घोषित कर दिया है तो उक्त आराजी वापस शामलात खातेदारान के खाते दर्ज होने योग्य है। वादीगण ने इस तनकी को राजस्व रेकार्ड से बखूबी साबित कराया है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

4. आया प्रति0 1 लगा0 4 वाद की मद नं0 2 में वर्णित आराजी 117.17 बीघा में से अपने हिस्से का बैचान कर चुके हैं और अब रकबा 104.08 बीघा रह गया है, इसमें प्रति0 1, 2, 3, 4 का कोई अधिकार नहीं रह गया है, ऐसे में वादीगण इस शेष आराजी 104.08 बीघा में से प्रति0 1, 2, 3 का नाम हटवाने एवं सम्पूर्ण आराजी 117.17 बीघा पर वादीगण 1, 2 एवं प्रति0 5 लगा0 8 खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी हैं ?
—वादी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

Scanned by CamScanner

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Exp1 ग्राम बाघेर की जमाबंदी सं० 2046–49 की खाता सं० 146 पर ख०नं० 201 की 54.15 बीघा, 206 की 40.02 बीघा, 207 की 9.11 बीघा कुल 3 किता की 104.08 बीघा आराजी भंवरीबाई पुत्री बिरधा, जगना, जगन्नाथ पिता भेरिया, रतीराम गणेश छोटू वल्द रोड़ा व चन्दीबाई बेवा रोड़ा, सुन्दरलाल वल्द भूला हि० 1/2 कौम माली सा० हरीगढ़, रतीराम मथुरालाल पिता कंवरया हि० 1/2 कौम नाई सा० हरीगढ़ के खाते दर्ज है, जो वाद में वादी 1 लगा० 2 एवं प्रतिवादी नं० 1 लगा० 8 के रूप में दर्ज है। Exp5 नकल जमाबंदी ग्राम बाघेर सं० 2000–2003 नं० साफ हाल 232/नं० खाता हाल 142 पर ख०नं० 6 रकबा 115.16 बीघा आराजी बिरधा जगना जगन्नाथ भुन्दजी हि० 1/2 में बांट बराबर व कंवरिया भुन्दजी हि० 1/2 के खाते दर्ज है। इसी प्रकार Exp6 नकल जमाबंदी ग्राम बाघेर सं० 2000–2003 नं० साफ हाल 225/नं० खाता हाल 135 पर ख०नं० 650/8 रकबा 0.10 बीघा आराजी बिरधा बालिग, जगना –जगन्नाथ नाबा० बविलायत बिरधा बेटे भेरिया जाति माली के खाते दर्ज है। Exp4 नकल बैनामा 12.05.1971 है जिसमें रतीराम छोटेलाल गणेश पिसरान रोड़ू चन्दरी बेवा रोड़ू जाति माली निवासी हरीगढ़ ने अपने खाते व हिस्से की आराजी ख०नं० 7 की 115.16 बीघा में से 14.09 बीघा आराजी का बैचान 5400 रू० में केदारलाल, गोपाल, लटूर पिसरान हीरालाल जाति धाकड़ निवासी खेड़ा–हरीगढ़ को बांट बराबर से किया है। Exp3 वाद बउनवान जगन्नाथ बनाम रतीराम न्यायालय परगना अधिकारी अकलेरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.1976 है, जिसमें " ग्राम बाघेर तह० खानपुर के माल की पुराने खाते के अनुसार नं० 7 की 115.16 बीघा भूमि में से 14.09 बीघा का बैचान प्रतिवादी नं० 1 लगा० 4 द्वारा प्रतिवादीगण 10, 11, 12 के पक्ष में दिनांक 12.05.71 वादी व दीगर शामलात खातेदारान के खातेदारी अधिकार के विरूद्ध है। अत: बेअसर घोषित किया जाता है। प्रति०नं० 10, 11, 12 का कब्जा हटाया जाकर शामलात खातेदारान को सम्भलाया जावे। " उपरोक्त विवेचन के अनुसार कुल वादग्रस्त आराजी 117.17 बीघा में से अपने हिस्से का बैचान कर चुके हैं और अब रकबा 104.08 बीघा रह गया है, इसमें प्रति० 1, 2, 3, 4 का कोई अधिकार नहीं रह गया है, ऐसे में वादीगण इस शेष आराजी 104.08 बीघा में से प्रति० 1, 2, 3, 4 का नाम हटवाने एवं सम्पूर्ण आराजी 117.17 बीघा पर वादीगण 1, 2 एवं प्रति० 5 लगा० 8 खातेदार टीनेट घोषित होने के अधिकारी हैं। यही प्रति०नं० 1, प्रति०नं० 2/1 लगा० 2/4, प्रति० 3/1 लगा० 3/2, प्रति० 4/1 लगा० 4/8, प्रति०नं० 10, 11, 12/1 लगा० 12/5 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। वादीगण ने इस तनकी को बखूबी साबित कराया है। अत: यह तनकी वादीगण के पक्ष में व खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

5. यह है कि वादीगण आपसी समझौते के आधार पर ख०नं० 206 की 40.02 बीघा आराजी पर सम्मिलित काश्त करते आ रहे हैं एवं कानूनन इतनी ही आराजी वादीगण के हिस्से में आती है ? इसलिये वादीगण अपने हिस्से की आराजी पृथक करवाने के अधिकारी है ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी के संबंध में तनकी नं० 1 लगा० 4 में विस्तृत विवेचन हो चुका है। वादीगण वादग्रस्त आराजी में सह खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। ऐसे में यह अपने हिस्से अनुसार आराजी का विभाजन कराने के अधिकारी हैं। अत: यह तनकी वादीगण के पक्ष में व खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

6. आया 117.17 बीघा में से अपने हिस्से की ख०नं० 207 की 9.11 बीघा, 201 की 54.15 बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण का पूर्वजों के जमाने से आपसी सहमति के आधार कब्जा चला आ रहा है ? ख०नं० 201, 202, 206, 209 में से प्रतिवादीगण अपने हिस्से का विभाजन कराकर कब्जा आराजी प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? — प्रति० 5/1, 5/2, 6/2

इस तनकी को साबित करने का भार प्रति० 5/1, 5/2, 6/2 पर था। प्रति० 5/1, 5/2, 6/2 ने ख०नं० 201, 202, 206, 208 में 1/2 हिस्से पर खातेदार टीनेट घोषित किये जाने एवं अपने उक्त हिस्से का कब्जे के अनुसार विभाजन चाहने बाबत् काउण्टर क्लेम पेश किया है। Exp1 ग्राम बाघेर की जमाबंदी सं० 2046–49 की खाता सं० 146 पर ख०नं० 201 की 54.15

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

बीघा, 206 की 40.02 बीघा, 207 की 9.11 बीघा कुल 3 किता की 104.08 बीघा आराजी [illegible] पुत्री किशन, जमना, जगन्नाथ पिता मंगिया, रतीराम [illegible] छोटू, [illegible] सुन्दरलाल वल्द भूल्या हि0 1/2 कौम माली सा0 टहीपद, [illegible] 1/2 कौम माली सा0 टहीपद के खाते दर्ज है, जो वाद में वादी 1 लगा0 2 एवं प्रतिवादी नं0 7 लगा0 8 के रूप में दर्ज है। Exp5 नकल जमाबंदी ग्राम बाघेर सं0 [illegible] 232/नं0 खाता हाल 142 पर ख0नं0 6 रकबा 115.16 बीघा आराजी किशन जमना [illegible] हि0 1/2 में बांट बराबर व कजोरया मुन्दडी हि0 1/2 के खाते दर्ज है। इसी प्रकार Exp6 नकल जमाबंदी ग्राम बाघेर सं0 2000-2003 नं0 खाता हाल 225/नं0 खाता हाल 135 पर ख0नं0 [illegible] रकबा 0.10 बीघा आराजी किशन वल्दि, जमना -जगन्नाथ [illegible] जाति माली के खाते दर्ज है। Exp4 नकल बैनामा 12.05.1971 है जिसमें रतीराम [illegible] मिसरान रोडू, मन्दरी बेवा रोडू, जाति माली निवासी टहीपद ने अपने खाते व हिस्से की आराजी ख0नं0 7 की 115.16 बीघा में से 14.09 बीघा आराजी का बैनाम [illegible] में [illegible] लदूर मिसरान हीरालाल जाति धाकड निवासी [illegible]-टहीपद को बांट बराबर में किया है। Exp3 वाद [illegible] बजनवान जगन्नाथ बनाम रतीराम न्यायालय परगना अधिकारी [illegible] के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.1976 है, जिसमें " ग्राम बाघेर त0 खानपुर के माल की पुराने खाते के अनुसार नं0 7 की 115.16 बीघा भूमि में से 14.09 बीघा का बैनाम प्रतिवादी नं0 1 लगा0 4 द्वारा प्रतिवादीगण 10, 11, 12 के पक्ष में दिनांक 12.05.71 वादी व दीगर शामलात खातेदारान के खातेदारी अधिकार के विरूद्ध है। अतः बेअसर घोषित किया जाता है। प्रति0नं0 10, 11, 12 का कब्जा हटाया जाकर शामलात खातेदारान को सम्भलाया जावे। " उपरोक्त विवेचन के अनुसार कुल वादग्रस्त आराजी 117.17 बीघा में से अपने हिस्से का बैनाम कर चुके है और अब रकबा 104.08 बीघा रह गया है, इसमें प्रति0 1, 2, 3, 4 का कोई अधिकार नहीं रह गया है। चूंकि प्रति0 नं0 5/1 लगा0 5/6 एवं प्रति0 6/1 लगा0 6/2 वादग्रस्त 117.18 बीघा में 1/2 हिस्से के सह खातेदार घोषित होने के अधिकारी है सो यह अपने हिस्से का विभाजन कराकर कब्जा आराजी प्राप्त करने के भी अधिकारी है। वहीं वादीगण को इन प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम पर कोई आपत्ति भी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

7. आया प्रतिवादी श्याममनोहर, महावीर, रामनिवास अपने हिस्से को पृथक कराने के अधिकारी है ? मृतक जगनालाल के वारिस प्रति0नं0 7, 8 ही है ? — प्रति0 5/1, 5/2, 6/2

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस संबंध में विस्तृत विवेचन के बाद तनकी नं0 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है तथा वादीगण का इन प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम पर कोई आपत्ति भी नहीं है। अतः यह तनकी भी प्रति0 5/1, 5/2, 6/2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण ने अपने वाद एवं प्रतिवादीगण ने अपने काउण्टर क्लेम को बखूबी साबित कराया है। ऐसे में ग्राम बाघेर की ख0नं0 202 की 13.10 बीघा, ख0नं0 206 की 40.02 बीघा कुल 2 किता की 53.12 बीघा आराजी में वादी नं0 1 हि0 1/3, वादी नं0 2 हि0 1/3, प्रति0नं0 7, 8 हि0 1/3 में हि0व0 खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम बाघेर की ख0नं0 201 की 54.15बीघा, ख0नं0 207 की 9.11 बीघा कुल 2 किता की 64.06 बीघा आराजी में प्रति0नं0 5/1 लगा0 5/6 हि0 1/2 में हि0व0, प्रति0 नं0 6/1 लगा0 6/2 हि0 1/2 में हि0व0 से खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी है। साथ ही प्रति0नं0 1, प्रति0नं0 2/1 लगा0 2/4, प्रति0 3/1 लगा0 3/2, प्रति0 4/1 लगा0 4/3, प्रति0नं0 10, 11, 12/1 लगा0 12/5 सहित शेष सहखातेदारान के नाम खाते से खारिज होने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण 5/1 लगा0 5/6, प्रति0 नं0 6/1 लगा0 6/2 का काउण्टर क्लेम साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बाघेर की ख0नं0 202 की 13.10 बीघा, ख0नं0 206 की 40.02 बीघा कुल 2 किता की 53.12 बीघा आराजी में वादी नं0 1 हि0 1/3, वादी नं0 2 हि0 1/3, प्रति0नं0 7, 8 हि0 1/3 में हि0व0

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम बाघेर की ख0नं0 201 की 54.15बीघा, ख0नं0 207 की 9.11 बीघा कुल 2 किता की 64.06 बीघा आराजी में प्रति0नं0 5/1 लगा0 5/6 हि0 1/2 में हि0ब0, प्रति0 नं0 6/1 लगा0 6/2 हि0 1/2 में हि0ब0 से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। साथ ही प्रति0नं0 1, प्रति0नं0 2/1 लगा0 2/4, प्रति0 3/1 लगा0 3/2, प्रति0 4/1 लगा0 4/3, प्रति0नं0 10, 11, 12/1 लगा0 12/5 सहित अन्य सह खातेदारान के नाम खाते से खारिज हो। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 23/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.07 13:26:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: